रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240152 CG-DL-E-09112022-240152

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5008] No. 5008] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2022/कार्तिक 18, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022/KARTIKA 18, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2022

सं. 43 / 2015-2020

विषयः आरबीआई ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के समकालिक विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत संशोधन।

का.आ. 5227(अ).—समय—समय पर यथा—संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आरबीआई के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के समकालिक विदेश व्यापार नीति 2015—20 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:

क्र. सं.	मौजूदा पैरा	संशोधित परा
1.	2.46 निर्यात हेतु आयात	2.46 निर्यात हेतु आयात
	I. (ख) पूंजीगत माल (नए और पुराने दोनों) सहित माल का निर्यात के लिए आयात किया जा सकता है बशर्ते किः	I. (ख) पूंजीगत माल (नए और पुराने दोनों) सहित माल को निर्यात के लिए आयात किया जा सकता है बशर्ते कि:
	iii. निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा द्वारा हो।	iii. निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा द्वारा या विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52 (घ) (ii) के अनुसार हो।

7453 GI/2022 (1)

	II. (क) मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान द्वारा आयात किए गए माल को केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान द्वारा निर्यात के लिए अनुमित दी जाएगी, जब तक कि डीजीएफटी द्वारा अन्यथा अधिसूचित नही किया गया है।	ii. (क) मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान द्वारा आयात किए गए माल को केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान द्वारा निर्यात के लिए अनुमित दी जाएगी, जब तक कि डीजीएफटी द्वारा अन्यथा अधिसूचित नही किया गया हो। पैरा 2.52 (घ) (i) के तहत आयातित माल को केवल पैरा 2.52 (घ) (ii) के अनुसार भुगतान द्वारा निर्यात के लिए अनुमित दी जाएगी जब तक कि डीजीएफटी द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया गया हो।
2.	2.53 ईरान को निर्यात एफटीपी लाम और प्रोत्साहन के लिए पात्र होने हेतु भारतीय रुपए में प्राप्ति	2.53 भारतीय रुपये में निर्यात प्राप्तियों के लिए एफटीपी स्कीमों की अनुप्रयोज्यता
	(i) उपरोक्त पैरा 2.52 (क) में निहित प्रावधानों के बावजूद ईरान को निर्यात के बदले भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय को विदेश व्यापार नीति (2015—20) के तहत निर्यात लाभ / प्रोत्साहन के लिए अनुमति दी जाती है, जो कि मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय के समतुल्य है।	(i) ईरान को निर्यात के बदले भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय को विदेश व्यापार नीति (2015—20) के तहत निर्यात लाभ/ निर्यात दायित्वों की पूर्ति के लिए अनुमति दी जाती है, जो कि मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय के विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.18 के अनुपालन के अधीन समतुल्य है।
		(ii) पैरा 2.52 (घ) (ii) के अनुसार भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय को विदेश व्यापार नीति (2015—20) के तहत निर्यात लाभ / निर्यात दायित्वों को पूरा करने की अनुमति है।
3.	3.20 स्तर धारक	3.20 स्तर धारक
	(ख) वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के सभी निर्यातकों के पास एक आयात—निर्यात कोड (आईईसी) संख्या है जो एक स्तर धारक की पहचान हेतु पात्र होगा। स्तर की पहचान निर्यात—निष्पादन पर निर्भर होगी। एक आवेदक का स्तर धारक के रूप में वर्गीकरण उसके वर्तमान और गत तीन वित्तीय वर्षों (रत्न और आभूषण क्षेत्र हेतु स्तर धारक के तौर पर पहचान के लिए वर्तमान और गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादन पर विचार किया जाएगा) के दौरान प्राप्त निर्यात निष्पादन के अनुसार होगा जैसािक विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.21 में निदेशित है। निर्यात निष्पादन की गणना मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्यात आय के एफओबी के आधार पर की जाएगी।	(ख) वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकी के सभी निर्यातकों के पास एक आयात—निर्यात कोड (आईईसी) संख्या है जो एक स्तर धारक की पहचान हेतु पात्र होगा। स्तर की पहचान निर्यात निष्पादन पर निर्भर होगी। एक आवेदक का स्तर धारक के रूप में वर्गीकरण उसके वर्तमान और गत तीन वित्तीय वर्षों (रत्न और आभूषण क्षेत्र हेतु स्तर धारक के तौर पर पहचान के लिए वर्तमान और गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादन पर विचार किया जाएगा) के दौरान प्राप्त निर्यात निष्पादन के अनुसार होगा जैसािक विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.21 में निदेशित है। निर्यात निष्पादन की गणना विदेशी व्यापार नीति के पैरा 2.53 के अनुसार मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा अथवा भारतीय रूपये में निर्यात आय के एफओबी के अनुसार की जाएगी।
4.	4.21 निर्यात लाभ की प्राप्ति हेतु मुद्रा	4.21 निर्यात लाभ की प्राप्ति हेतु मुद्रा
	यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो तो निर्यात आय मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त किया जाएगा। निर्यात आय की प्राप्ति और गैर प्राप्ति से संबंधित प्रावधान विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52, 2.53 और 2.54 में दिए गए	यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, विदेश व्यापार के पैरा 2.53 के अनुसार निर्यात आय मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा अथवा भारतीय रुपये में प्राप्त की जाएगी। निर्यात आय की प्राप्ति और गैर प्राप्ति से संबंधित प्रावधान विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52, 2.53 और 2.54 में दिए गए हैं।

इस अधिसूचना का प्रभावः आरबीआई के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपन्न सं. 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022 के अनुसार भारतीय रुपए में निर्यात और आयात के बीजक, भुगतान और निपटान हेतु निर्यात लाभों / निर्यात दायित्व के निवर्हन को अनुमति प्रदान करने के लिए विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत संशोधनों को अधिसूचित किया गया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/93/180/32/एएम-19/पी.सी.II (बी)/ई-17430] संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2022

No. 43 /2015-2020

Subject : Amendments under the Foreign Trade Policy in sync with RBI A.P.(DIR Series) Circular No.10 dated 11th July 2022

S.O. 5227(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy 2015-20, with immediate effect, in sync with the RBI's A.P. (DIR Series) Circular No.10 dated 11th July, 2022:

Sl.	Existing Para	Revised Para
1.	2.46 Import for export	2.46 Import for export
	I. (b) Goods, including capital goods (both new and second hand), may be imported for export provided:	I. (b) Goods, including capital goods (both new and second hand), may be imported for export provided:
	iii. Export is against freely convertible currency.	iii. Export is against freely convertible currency or as per 2.52(d)(ii) of FTP.
	II. (a) Goods imported against payment in freely convertible currency would be permitted for export only against payment in freely convertible currency, unless otherwise notified by DGFT.	II. (a) Goods imported against payment in freely convertible currency would be permitted for export only against payment in freely convertible currency, unless otherwise notified by DGFT. Goods imported under Para 2.52(d)(i) would be permitted for exports only against payments as per Para 2.52(d)(ii), unless otherwise notified by DGFT.
2.	2.53 Export to Iran —Realisations in Indian Rupees to be eligible for FTP benefits / incentives	2.53 Applicability of FTP Schemes for Export Realisations in Indian Rupees
	Notwithstanding the provisions contained in para 2.52 (a) above, export proceeds realized in Indian Rupees against exports to Iran are permitted to avail exports benefits / incentives under the Foreign Trade Policy (2015-20), at par with export proceeds realized in freely convertible currency.	(i) Export proceeds realized in Indian Rupees against exports to Iran are permitted to avail exports benefits/fulfilment of Export Obligations under the Foreign Trade Policy (2015-20), at par with export proceeds realized in freely convertible currency, subject to compliance of para 2.18 of the FTP. (ii) Export proceeds realized in Indian Rupees as per para 2.52(d)(ii) are permitted to avail exports benefits/fulfilment of Export Obligations under the Foreign Trade Policy (2015-20).

3.20 Status Holder

(b) All exporters of goods, services and technology having an import-export code (IEC) number shall be eligible for recognition as a status holder. Status recognition will depend on export performance. An applicant shall be categorized as status holder on achieving export performance during the current and previous three financial years (for Gems & Jewellery Sector the performance during the current and previous two financial years shall be considered for recognition as status holder) as indicated in paragraph 3.21 of Foreign Trade Policy. The export performance will be counted on the basis of FOB of export earning in freely convertible foreign currencies.

3.20 Status Holder

b) All exporters of goods, services and technology having an import-export code (IEC) number shall be eligible for recognition as a status holder. Status recognition will depend export performance. An applicant shall be categorized as status holder on achieving export performance during the current and previous three financial years (for Gems & Jewellery Sector the performance during the current and previous two financial years shall be considered for recognition as status holder) as indicated in paragraph 3.21 of Foreign Trade Policy. The export performance will be counted on the basis of FOB of export earning in freely convertible foreign currencies or in Indian Rupees as per para 2.53 of the FTP.

4. **4.21** Currency for Realisation of Export Proceeds

(i) Export proceeds shall be realized in freely convertible currency except otherwise specified. Provisions regarding realisation and non-realisation of export proceeds are given in paragraph 2.52, 2.53 and 2.54 of FTP.

4.21 Currency for Realisation of Export Proceeds

(i) Export proceeds shall be realized in freely convertible currency or in Indian Rupees as per para 2.53 of FTP, except otherwise specified. Provisions regarding realisation and non-realisation of export proceeds are given in paragraph 2.52, 2.53 and 2.54 of FTP.

Effect of this Notification: Amendments under FTP are notified, to permit exports benefits / fulfilment of Export Obligations for Invoicing, payment and settlement of exports and imports in INR, as per RBI's A.P. (DIR Series) Circular No. 10 dated 11th July, 2022. This shall come into force with immediate effect.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/93/180/32/AM-19/PC.II(B)/E-17430]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.